Illiteracy

5270. SHRI P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state

(a) whether the number of illiterate people is increasing in spite of expansion of primary education;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) steps being taken to remedy the situation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D P YADAV): (a) According to the 1961 and 1971 Census, the number of literates and illiterates are as under:

(Figures in lakhs)

Age Group	1961		1971	
	Literates	Illiterates	Literates	Illiterates
5—14	336 6	803 2	523 3	973 6
15—24	263 3	468 8	430 1	475 9
25—34	192 3	481 9	260 0	506 1
35+	262 7	917 7	366.2	1126 7

In the age-group 15—24 where the full impact of educational policies of Government is most felt, the increase in the number of illiterate is marginal being only about 7 lakhs The increase in this number is more in the older sections of the population, being 24 lakhs in the 25—34 age-group and 209 lakhs in the age-group 35+

(b) The main reasons are

(i) increase in population,

(ii) drop outs from the school system before attaining retainable literacy,

(iii) Socio-economic factors that prevent children from availing full-time education, and

(iv) inadequate resources

(c) The following are some of the major long-term measures taken to remedy the situation

(i) increase in educational facilities for the age-group 6—11,

(ii) Incentives, such as, free education, free textbooks and stationery, mid-day meal and free uniform to girls to attract children to school and to ensure their regular attendance and retention;

(iii) part-time classes for working children with provision for multiple point entry into the educational system for non-formal education for those who are unable to take advantage of full time or part-time facilities, and

(iv) programmes of non-formal education and functional literacy for out-of-school youth.

विश्वेश्वरया रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर के विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन

5271. श्री राम हेडाऊ : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वेश्वरया रीजनल इंजीनियरिंग कालेज नागपुर के विद्यार्थी 1 सूत्री मांगों को लेकर काफ़ी समय से आन्दोलन कर रहे हैं तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से समुचित ध्यान न देने और यथेष्ट नवीनतम वित्तीय अनुदान के अभाव में उक्त कालेज की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है; और

(ख) इस कालेज में शिक्षा संबन्धी सुधार करने एवं विद्यार्थियों की मांगों को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) (क) और (ख) जीमखाना कालेज के महामंत्री ने 18 फरवरी 1975 को विश्वेश्वरया क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, नागपुर के प्रिंसिपल को एक ज्ञापन पेश किया जिसमें सुविधाओं तथा शैक्षिक रियायतों से संबंधित 13 मांगे सम्मिलित थी। कालेज के शासी मंडल ने, जो कि स्वयत्तशासी है, 14 मार्च 1975 को अपनी बैठक में सभी मांगों पर विस्तारपूर्वक विचार किया। बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त होने पर केन्द्रीय राज्य सरकार तथा नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा जांच की जायेगी।

प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं द्वारा ट्यूटोरियल कक्षाएं

5272. श्री राम हेडाऊ : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बड़े-बड़े शहरों में विशेष रूप से महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं विभिन्न विषयों में ट्यूटोरियल कक्षाओं का आयोजन करने वाली संस्थाओं की बाढ़ आ गई है ; और

(ख) क्या इस प्रवृत्ति के कारण शिक्षा के गुणात्मक स्तर में ह्रास को रोकने के लिये सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ उपाय करने का विचार कर रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) पता चला है कि बहुत सी प्राइवेट संस्थायें विभिन्न विषयों में ऐसे शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार ने निर्धारित नीतियों के अनुसार, शैक्षिक स्तरों में सुधार तथा उन्हें बनाये रखने के लिये बहुत से कदम उठाये हैं जिनमें अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम में सुधार, परीक्षा सुधार तथा सेवा शर्तों में सुधार सम्मिलित है।

ये संस्थाये-पाठ्यक्रम किसी भी विश्वविद्यालय से मान्य अथवा संबद्ध नहीं है ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन, डिग्री प्रदान करने अथवा प्रदत्त करने के अधिकार का उपयोग, किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित किसी विश्वविद्यालय द्वारा अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के खंड 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था द्वारा अथवा डिग्रियां प्रदान करने के लिये संसद के अधिनियम द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किसी संस्था द्वारा ही किया जा सकता है। जब कभी भी इन उपबंधों के किसी उल्लंघन का कोई विशिष्ट मामला सरकार अथवा आयोग के नोटिस में लाया जायगा, तो मामले पर, यथोचित रूप से जांच करने के बाद, यथा-आवश्यक कानूनी कार्रवाही करने के लिये कदम उठाया जायगा।

चीनी का उत्पादन और निर्यात

5274. डा० लक्ष्मीनारायण पांडे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन कितनी मात्रा में होने की आशा है और उसमें से कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया जायगा ; और

(ख) चीनी का वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है ?